उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:26/2022/417/1354998/12-2002/2/2021
लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

शासन के कार्यालय आदेश संख्या: 18/2022/270/1354998/12-2002/2/2021, दिनांक 21 मार्च, 2022 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान-27-सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू. 5500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू. 1625.00 लाख (रूपए सोलह करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मद पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

7. स्वीकृत धनराशि से प्रमाणित बीजो के क्रय हेतु क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

9. कृषि निदेशक द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अवसर के अनुसार किया जाएगा। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021, दिनांक 22.3.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

12. आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-04-प्रमाणित बीजों पर अनुदान-27-सब्सिडी के नामें डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या: ई-1-3854-दस-2021-22, दिनॉक 30 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या:26/2022/417/1354998/12-2002/2/2021 तद्दिनाक।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: एस.एफ./2223-जी/प्रमा.बीज-बजट/2021-22, दिनॉक 22 मार्च, 2022 तथा पत्र संख्या: एस.एफ./2303-जी/प्रमा.बीज-बजट/2021-22, दिनॉक 28 मार्च, 2022के संदर्भ में,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1/2/कृषि अनुभाग-3/5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।